फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 69/2020 GCMS NO. 2020/00172

अनवान घन्दनसिंह बनाम राज.सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11(घ) सी.पीसी.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
30.5.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री भरत जे. राठौड उपस्थित। प्रतिवादी पेरोकार सरकार। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात् जाहिर हैं कि अधिवक्ता वादी श्री भरत जे. राठौड द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11(d) सी.पी.सी. में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादी द्वारा विगत् 32 वर्षो से स्वयं के कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम भीटवाडा के हाल खसरा नंबर 722 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की घोषणा खातेदारी का वाद पेश किया है। प्रतिवादी ने वादपत्र का जवाब पेश नहीं किया है तथा अपना जो भी डिफेन्स है वह अपने जवाबदावा में पेश कर उल्लेखित कर सकता है, परन्तु प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण को अनावश्यक लम्बा करने की नियत से आधार हिन तथ्यो के आधार पर उक्त गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में कहीं पर यह वर्णित नहीं किया हैं कि वादी का वाद किस विधि के तहत वर्जित हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के वर्णित प्रावधानो के तहत वादी द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि का घोषणा खातेदारी का वाद पेश किया है, जो किसी विधि के तहत वर्जित नहीं है। प्रतिवादी पक्ष का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेबूनियाद होने से प्रार्थना पत्र प्रतिवादी पैरोकार सरकार खारिज कर प्रतिवादी पक्ष को जवाबदावा प्रस्तुती के निर्देश दिये जावे। वादी पैरोकार सरकार द्वारा बहस में वकील प्रतिवादी की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी गई कि वादी के उक्त वाद में कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नहीं है। वादी ने अपने वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि पर पिछले 32 वर्षो से कब्जा होने के तथ्य उल्लेखित किये है, परन्तु इसके समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। पी–14 के अनुसार वादी पक्ष का राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 722 रकबा 0.22 हैक्टर पर बतौर अतिक्रमी संवत् 2074, 2075 व 2077 के वर्षो में ही कब्जा रहा है। इससे पुर्व कब्जा नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा नहीं रहा है, जिससे वाद हेतूक के अभाव में वाद खारिज योग्य है। प्रतिवादी पेराकार सरकार द्वारा बहस में यह भी दलील दी गई कि वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार वादग्रस्त भूमि की घोषणा खातेदारी चाही है, परन्तु माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है, जिससे वादी पक्ष का वाद विधि के प्रावधानो से बाधित होने से आदेश 07 नियम 11(d) सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार वादी का वाद खारिज किये जाने की दलील दी गई। दोनो पक्षो की बहस के पश्चात् संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानो का अवलोकन किया गया। **आदेश 07 नियम 11 वादपत्र का नामंजूर किया जाना–** (क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता हैं कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। प्रस्तुत वाद पत्र के अभिवचनो से यह ज्ञात हैं कि वादी द्वारा ग्राम भीटवाडा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि हाल खसरा नंबर 722 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी दोयम पर विगत 32 वर्षो से कब्जा होना वर्णित करते हुये घोषणा खातेदारी चाही है, परन्तु प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अनुसार वादी पक्ष का संवत् 2074, 2075 व 2077 के वर्षो में ही कब्जा काश्त रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भी वादी	

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	पक्ष का कब्जा वर्णित भूमि पर नहीं है। इसके साथ ही यह भी प्रमाणित हैं कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर भूमि नियमन के शिविर लगाये गये। जिन शिविरो में पुराने कब्जे काश्त के आधार पर पुराने काबिज लोगो को राजकीय सिवायचक भूमियाँ नियमन की गई, यदि वादी का 32 वर्ष पुराना कब्जा होता तो अवश्य ही राजस्व शिविरो में वादी को भूमि नियमन हो जाती । परन्तु वादी का कब्जा नहीं रहा है, इसी कारण से वादग्रस्त भूमि वादी को नियमन नहीं हो सकी। एवं अब वर्ष 2020 में मनगढन्त तथ्य प्रकट करते हुये उक्त घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें वाद हेतूक ही उत्पन्न नहीं है। इसके साथ ही यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा जारी निर्णय में प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती। जबकि वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ही लाया गया है, जिससे वादी का उक्त वाद आदेश 07 नियम 11(घ) में वर्णित प्रावधानो के अनुसार स्पष्ट रूप से वर्जित है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस एवं सी.पीसी के आदेश 07 नियम 11 (क), (घ) में वर्णित प्रावधानो पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रतिवादी पेरोकार सरकार आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है, तथा वादी द्वारा ग्राम भीटवाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 722 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के संबध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बाली बाली, जिला-पाली (राज.) न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
जलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

वादी :–
चन्दनसिंह पुत्र श्री भूरसिंहजी जाति राव
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 69 / 2020 Gcms No. 2020 / 00172
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्ताई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी गिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस एवं सी.पी.सी. के आदेश 07 नियम 11(क), (घ) में वर्णित प्रावधानो पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रतिवादी पेरोकार सरकार आदेश 07 निमय 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है, तथा वादी द्वारा ग्राम भीटवाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 722 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के सबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3-5-2022 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (रा.)

Scanned with CamScanner